संख्या-160/2020/3026/22-2-2019-17(1158)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेशए लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 29 मई,2020***

विषय:-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरफान पुत्र श्री झगरू, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-19-09-2019) दिनांक-03-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरफान पुत्र श्री झगरू, जो ग्राम-तकिया मजरे सुढियामऊ, थाना-रामनगर, जनपद-बाराबंकी हाल पता ग्राम-बाकरपुर, थाना-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने रास्ते को लेकर पुराने विवाद की रंजिश में दिनांक 25.02.2001 को समय सांय लगभग 06:00 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर सुल्तान नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-221/2004 भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 11.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.08.2019 तक 15 वर्ष 05 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की संभावना होने, मजबूत कद काठी का होने, अपराध करने में सशक्त होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने रास्ते के विवाद की रंजिश में दिनांक 25.02.2001 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर सुल्तान नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी अपराध करने में सशक्त है, बंदी मजबूत कद काठी का है भविष्य में अपराध करने से इन्कार नही किया जा सकता है, का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इरफान पुत्र झगरू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इरफान (बन्दी संख्या-16083) पुत्र श्री झगरू, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्टए 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित) भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-160/2020/3026(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बाराबंकी/ सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-160/2020/3026/22-2-2019-17(1158)/2019

दिनांक 29 मई, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरफान (बन्दी संख्या-16083) पुत्र श्री झगरूए जो ग्राम-तकिया मजरे सुढियामऊ, थाना-रामनगर, जनपद-बाराबंकी हाल पता ग्राम-बाकरपुर, थाना-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने रास्ते को लेकर पुराने विवाद की रंजिश में दिनांक 25.02.2001 को समय सांय लगभग 06:00 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर सुल्तान नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-221/2004 भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 11.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.08.2019 तक 15 वर्ष 05 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की संभावना होने, मजबूत कद काठी का होने, अपराध करने में सशक्त होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने रास्ते के विवाद की रंजिश में दिनांक 25.02.2001 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर सुल्तान नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी अपराध करने में सशक्त है, बंदी मजबूत कद काठी का है भविष्य में अपराध करने से इन्कार नही किया जा सकता है, का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इरफान पुत्र झगरू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in